

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *417

दिनांक 21.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एमएसएमई का एकीकरण

*417. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:
सुश्री एस. जोतिमणी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकरण में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एमएसएमई के सामने आने वाली प्रमुख वैश्विक चुनौतियां क्या हैं;
- (ग) एमएसएमई के विकास और स्थायित्व पर वैश्विक आर्थिक कारकों का प्रभाव क्या है;
- (घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु क्या पहल की गई है;
- (ङ) उत्पादकता, नवाचार और व्यवसाय में आसानी के संदर्भ में अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की स्थिति क्या है; और
- (च) वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और भारतीय एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमुख प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किन भावी कार्यनीतियों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 21.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *417 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (च): जी हाँ। सरकार वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उनकी साझेदारी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता से अवगत है। इससे देश की आर्थिक वृद्धि, रोज़गार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोत्तरी होगी।

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में एमएसएमई के समक्ष मौजूद कुछ चुनौतियों में वैश्विक बाज़ार से संबंधित सूचना तक सीमित पहुँच, वित्त उपलब्धता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का औपचारीकरण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार शामिल हैं। वैश्वीकरण से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच और विदेशी निवेश के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं जिससे उनकी वृद्धि और संधारणीयता को बल मिलेगा। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, मंत्रालय कई पहलों/स्कीमों और नीतियों का कार्यान्वयन कर रहा है:

- (i) अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम का लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का क्षमता वर्धन करना है ताकि निर्यात बाज़ार में प्रवेश कर सकें। स्कीम के बाज़ार विकास सहायता घटक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के साथ-साथ भारत में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे प्रौद्योगिकी में बदलाव, मांग में परिवर्तन, नए बाज़ारों के उद्भव आदि से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने हेतु स्वयं को निरंतर अद्यतित रख सकें। पहली बार निर्यात करने वालों के लिए क्षमता वर्धन घटक के अंतर्गत, सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणन, निर्यात बीमा प्रीमियम और उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात हेतु परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।
- (ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित करके निर्यात संवर्धन हेतु एक विशेष सहायता प्रणाली भी स्थापित की है। ये ईएफसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उपलब्ध विभिन्न स्कीम और सहायता संबंधी जानकारी उपलब्ध करते हैं और निर्यात में सहायता के लिए उन्हें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, नए फिनटेक स्टार्ट-अप जैसी वित्तीय संस्थाओं से जोड़कर, प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्राप्त करने आदि में सहयोग प्रदान करते हैं।
- (iii) एमएसएमई चैंपियंस स्कीम अपनी तीन उप-स्कीम यथा एमएसएमई-सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम, एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम और एमएसएमई-इनोवेटिव (इन्क्यूबेशन, डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार) स्कीम से युक्त एक समग्र दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य विभिन्न स्कीम और अंतःक्षेपों को एकीकृत, समन्वित और अभिसरित करना है ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैंप) स्कीम का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को सुदृढ़ करके तकनीकी उन्नयन, बाज़ार और ऋण तक पहुंच बढ़ाकर एमएसएमई को सहायता प्रदान करना है। सतत और पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने हेतु, मंत्रालय ने हरित निवेश और परिवर्तन हेतु वित्तपोषण (गिफ्ट) स्कीम तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था में निवेश संवर्धन (स्पाइस) स्कीम की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को डिजिटल मार्केटिंग तक पहुंच प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने व्यापार सक्षमता और विपणन पहल (टीम) शुरू की है।

- (iv) कयर बोर्ड केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम नामतः कयर विकास योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जो विभिन्न निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों के माध्यम से कयर निर्यात को बढ़ावा देने वाला घटक है।
- (v) मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) स्कीम के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सुविधा भी प्रदान करता है। गारंटी सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- (vi) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के दायरे को और विस्तृत किया गया है। संशोधित मानदंडों के अंतर्गत, 2.5 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयों को अब सूक्ष्म उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि पूर्व में इसकी सीमा 1 करोड़ रुपये थी। कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। 25 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयों को लघु उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि पूर्व में इसकी सीमा 10 करोड़ रुपये थी। ऐसे उद्यमों के लिए कारोबार की सीमा 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी गई है। 125 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयों को अब मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि पूर्व में इसकी सीमा 50 करोड़ रुपये थी। मध्यम उद्यमों के लिए कारोबार की सीमा दोगुनी करके 500 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- (vii) उद्यम पंजीकरण पोर्टल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है तथा उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को मंत्रालय की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और स्कीमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाता है।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने अनुकूलन और वृद्धि का प्रदर्शन किया है। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर और उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रमुख उद्यमों के रूप में स्थापित करने के लिए डिजिटलीकरण और तकनीकी उन्नयन, वित्तीय समावेशन और ऋण तक पहुँच, कौशल विकास और मानव पूंजी, हरित विनिर्माण और सततता के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सक्रिय रूप से सहायता देने पर जोर दे रही है।
